



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2019/ज्येष्ठ 29, 1941

No. 366]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2019/JYAISTHA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2019

सं. 44/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

**सा.का.नि. 435(अ).**—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मैन्यूफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन्स इन वेयर हाउस रेगुलेशन्स, 1966 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों को छोड़कर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (एतश्मिन पश्चात जिसे “बोर्ड” से संदर्भित किया गया है), एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ-** (1) इन विनियमों को मैन्यूफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन्स इन वेयर हाउस रेगुलेशन्स, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. परिभाषाएं-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है।

(ख) “बॉन्ड अधिकारी” से अभिप्राय किसी वेयर हाउस के सीमाशुल्क- प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) “धारा” से अभिप्राय उक्त अधिनियम की धारा से है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ तो प्रयोग हुआ हो लेकिन इन विनियमों परिभाषित न किए गए हों, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में इनके लिए क्रमशः दिया गया हो।

**3. इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु आवेदन किए जाने के लिए पात्रता-** इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे-

- (i) ऐसा कोई व्यक्ति जिसको प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंसिंग रेगुलेशन्स, 2016, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सा.का.नि. सं. 518(अ), दिनांक 14 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड -3, उप-खण्ड (i) के तहत

प्रकाशित किया गया था, के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस का लाइसेंस दिया गया हो।

- (ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस में विनिर्माण कार्य करने या अन्य कोई कार्य करने की अनुमति के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हो।

**4. अनुमति के लिए आवेदन-** इन विनियमों के अंतर्गत प्रचालन हेतु कोई भी आवेदन प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास किया जाएगा।

**5. अनुमति प्रदान किया जाना-** विनियम 4 के अनुसार किए गए किसी भी आवेदन की सत्यापन करने के बाद प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रचालन की अनुमति किसी ऐसे व्यक्ति को देगा-

- (i) जिसको प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंसी रेगुलेशन, 2016 के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी वेयर हाउस के लिए लाइसेंस दिया गया हो।
- (ii) जो इस बात की वचन देता हो कि माल को प्राप्त करने और उसका निस्तारण करने का लेखा-जोखा डिजीटल फॉर्म में ऐसे फॉर्मेट में व्यवस्थित रखेगा जो कि विनिर्दिष्ट किया गया हो और वह उसको बॉन्ड अधिकारी के समक्ष मासिक आधार पर उपलब्ध कराता रहेगा।
- (iii) ऐसे फॉर्मेट में कोई बॉन्ड भरता हो जो निर्दिष्ट किया जाए।
- (iv) इस बात का वचन देता है कि जब भी जरूरी होगा वह कच्चे माल और इसके अंतिम उत्पाद के इनपुट-आउटपुट नॉर्म्स के बारे में बताएगा और यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार संशोधित नॉर्म्स के बारे में सूचित करेगा।

**6. लेखा-परीक्षा:** धारा 65 के अंतर्गत प्रचालित किसी प्रचालित इकाई की लेखा-परीक्षा सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

**7. अनुमति की वैधता-** इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियम 5 के अंतर्गत दी गई कोई अनुमति तब तक वैध रहेगी जब तक कि इसे रद्द या वापस नहीं कर दिया जाता है या धारा 58 के अंतर्गत जारी लाइसेंस को रद्द या वापस नहीं कर दिया जाता है।

**8. शास्ति-** यदि कोई व्यक्ति इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है या इन विनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर पाता है तो वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति का भागी होगा।

[फा. सं. 484/03/2015-एलसी(पार्ट)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 155/1966-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जुलाई, 1966 को सा.का.नि. 1174(अ) दिनांक 30 जुलाई, 1966 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2019

No. 44/2019-Customs (N.T.)

**G.S.R. 435(E).**—In exercise of the powers conferred under section 157 read with section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Manufacture and Other Operations in Warehouse Regulations, 1966, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (hereinafter referred as “Board”) hereby makes the following regulations, namely:—

**1. Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Manufacture and Other Operations in Warehouse Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (b) "bond officer" means an officer of customs in-charge of a warehouse;
- (c) "section" means the section of the Act;

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

**3. Eligibility for application for operating under these regulations.** - The following persons shall be eligible to apply for operating under these regulations, -

- (i) a person who has been granted a licence for a warehouse under section 58 of the Act, in accordance with the Private Warehouse Licensing Regulations, 2016 which were notified by the Central Government in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (i), vide the number G.S.R 518 (E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2016.
- (ii) a person who applies for a licence for a warehouse under Section 58 of the Act, along with permission for undertaking manufacturing or other operations in the warehouse under section 65 of the Act.

**4. Application for permission.** - An application for operating under these regulations shall be made to the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be.

**5. Grant of permission.** - Upon due verification of the application made as per regulation 4, the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, shall grant permission to operate under the provisions of these regulations to a person, who -

- (i) has been granted a licence for a warehouse under Section 58 of the Act, in accordance with Private Warehouse Licensing Regulations, 2016;
- (ii) undertakes to maintain accounts of receipt and removal of goods in digital form in such format as may be specified and furnish the same to the bond officer on monthly basis;
- (iii) undertakes to execute a bond in such format as may be specified.
- (iv) undertakes to inform the input-output norms, wherever considered necessary, for raw materials and the final products and to inform the revised input-output norms in case of change therein.

**6. Audit:** The proper officer may conduct audit of a unit operating under section 65 in accordance with the provisions of the Customs Act and the rules made thereunder.

**7. Validity of permission.** - Any permission granted under regulation 5 shall remain valid unless it is cancelled or surrendered, or the license issued under section 58 is cancelled or surrendered, in terms of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder.

**8. Penalty.** -If any person contravenes any of the provisions of these regulations, or abets such contravention or fails to comply with any of the provisions of these regulations, he shall be liable to pay a penalty in accordance with the provisions of the Act.

[F. No. 484/03/2015-LC (Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.155/1966-Customs, dated the 30<sup>th</sup> July 1966 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 1174(E), dated the 30<sup>th</sup> July 1966.